राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्या :– 8/2023
(अपील संख्या :– 822/2014)

पदम चंद **–प्रार्थी/अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. रामेश्वर लाल परसोया, वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा कॉलेज, कोटा।

–अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 08.05.2023
आदेश की दिनांक : 06.12.2023

उपस्थित –
प्रार्थी/अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रार्थी/अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 822/2014 में प्रस्तुत किया गया, जिस पर बहस सुनी गई।

प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में प्रार्थी/अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना की गई है कि उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील संख्या 822/2014 में पारित निर्णय दिनांक 18.01.2022 में पुनर्विचार कर प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई संशोधित अपील को स्वीकार कर एपीएआर में वर्ष 2008–09 में प्रतिकूल प्रविष्टि को अपास्त करते हुए वित्तीय सलाहकार के पद पर पदोन्नति हेतु प्रार्थी/अपीलार्थी के नाम पर विचार किया जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

प्रार्थी/अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपील संख्या 822/2014 अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसमें वर्ष 2007–08 में एपीएआर

में प्रतिकूल प्रविष्टि को अपास्त किए जाने की प्रार्थना की गई थी, जिसके क्रम में अधिकरण द्वारा उक्त अपील स्वीकार कर दिनांक 18.01.2022 को आदेश पारित किया गया। परंतु उक्त आदेश में वर्ष 2007–08 के विरूद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि को अपास्त किया गया। परंतु वर्ष 2008–09 में प्रतिकूल प्रविष्टि पर विचार किए जाने से रह गया। जबकि अपील में वर्ष 2008–09 में प्रतिकूल प्रविष्टि को भी अपास्त करने हेतु प्रार्थना की गई थी। माननीय अधिकरण द्वारा उक्त अपील संख्या 822/2014 को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया गया है। परंतु एपीएआर वर्ष 2008–09 में प्रतिकूल प्रविष्टि के संबंध में विचार किया जाना छूट गया है। जबकि एपीएआर वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 दोनों वर्षों की प्रतिकूल प्रविष्टियों पर विचार करने हेतु अपील में प्रार्थना की गई थी, जिसमें अधिकरण द्वारा वर्ष 2007–08 की एपीएआर में प्रतिकूल प्रविष्टि पर विचार किया गया है और वर्ष 2008–09 की एपीएआर में प्रतिकूल प्रविष्टि पर विचार किया जाना भी आवश्यक था।

अतः उक्त आधारों पर प्रार्थी/अपीलार्थी का पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे तथा अपील संख्या 822/2014 में पारित निर्णय दिनांक 18.01.2022 में पुनर्विचार कर प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई संशोधित अपील को स्वीकार कर एपीएआर में वर्ष 2008–09 में प्रतिकूल प्रविष्टि को अपास्त करते हुए वित्तीय सलाहकार के पद पर पदोन्नति हेतु प्रार्थी/अपीलार्थी के नाम पर विचार किया जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

हमनें प्रार्थी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 822/2014 दिनांक 07.10.2014 को प्रस्तुत की गई, जिस पर अधिकरण द्वारा अपील स्वीकार की जाकर दिनांक 18.01.2022 को आदेश पारित किया गया। उक्त पारित आदेश में प्रार्थी/अपीलार्थी के एपीएआर वर्ष 2007–08 के लिए प्रतिकूल प्रविष्टि को असंतोषजनक नहीं मानने हेतु आदेश किया गया, परंतु प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा संशोधित अपील प्रार्थना पत्र में एपीएआर वर्ष 2008–09 में प्रतिकूल प्रविष्टि पर भी अधिकरण द्वारा विचार किए जाने हेतु प्रार्थना की गई थी। इस प्रकार प्रार्थी/अपीलार्थी का पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/अपीलार्थी का पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी/अपीलार्थी की एपीएआर वर्ष 2008–09 में दर्ज प्रतिकूल प्रविष्टि को भी संतोषजनक माना जावे। शेष निर्देश अधिकरण द्वारा अपील संख्या 822/2014 में पारित आदेश दिनांक 18.01.2022 के अनुसार यथावत पढ़े/माने जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य